

ण संख्या -405 / 2022

ान :

मोहित चौधरी पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजाराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शकुन्तला पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. अवन्तिका चौधरी पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री संजय शर्मा :-वादी

2 अधिवक्ता श्री जयनारायण शर्मा :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 6 एजी. जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 41/42 में मुश्तरका खाता में दर्ज 3.6690 है० आराजी में से प्रतिवादी सं० 1 राजाराम के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 6 एजी के खाता सं० 41/42 में से प्रतिवादी सं० 1 राजाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सत्यनारायण (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी